

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

संज्ञक . 97/403प्र0-म.न./उ.न-1/श.न/2010-11 दिनांक 6 जनवरी, 2016

01



विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण 30प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्ध यह नगरपालिका बहिष् के उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक इमन निर्माण विनियमिती किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई उत्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के नालिकाना या लायन्स के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रहेगी।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, डॉक्टर गायत्री धाम कालोनाईजर एवं कान्साइवशन द्वारा प्लॉट नं० 34, 10, 11 (पार्ट पोशन अफ-12 एवं 13) साइट नं०-29 एम0सी0 मार्ग, इलाहाबाद जेन संख्या (1) के अन्तर्गत परिसर विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 (1) के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिनियम किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास (अपविधि 2002 में अपविधि संख्या-2.1.8 एवं 2.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्मित किये जाने वाले 'पूराता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृत प्रमाणपत्र के अनुसार ही करना होगा।
4. रेनवाटर हावरेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कक्षों हू-गर्म जल किाया से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा रफरेंसी0आश0 अवगुप्त किया जायेगा।
5. भवनोप व्यापार में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की रिपोर्ट में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धों कोई भी विवाद रजम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
6. यदि अवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (8) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

6/1/16
 (मुख्य श्री वि.स्तव)
 विशेष कार्यधिकारी



AREA DETAIL :-

Sr.	REFERENCE	SANCTIONED AREA	%	COMPOUND AREA	%
1.	TOTAL AREA OF PLOT	1079 Sq.Mtr.		1079.00 Sq.Mtr.	
2.	AREA ON BASEMENT (PARKING)	803 Sq.Mtr.		590.19 Sq.Mtr.	
3.	AREA ON GROUND FLOOR	636 Sq.Mtr.		591.89 Sq.Mtr.	
4.	AREA ON FIRST FLOOR	636 Sq.Mtr.		591.89 Sq.Mtr.	
5.	AREA ON SECOND FLOOR	636 Sq.Mtr.		591.89 Sq.Mtr.	
6.	TOTAL COVERED AREA OF ALL FLOOR	1805 Sq.Mtr.		1745.04 Sq.Mtr.	
7.	GROUND COVERAGE	636 Sq.Mtr.	48.88%	549.95 Sq.Mtr.	51%
8.	F.A.R.	1.48		1.62	
9.	Ground floor shop				
	Total car parking required @ 3 sq. Car space / 100 sq. mt. for ground floor (shop)			=12.14 Car	
	Total car parking required @ 2 sq. Car space / 100 sq. mt. for first & second floor (office)			=16.75 Car	
	TOTAL CAR SPACES TO BE PROVIDED			=28.89 Cars	
				=say 29 Cars	
	*TOTAL 29 CAR SPACES TO BE PROVIDED				
10.	CAR PARKING PROVIDED IN BASEMENT = 29 CARS SHOWN				
	22 CAR IN BASEMENT & 7 NO. CAR PROVIDED IN OPEN SPACE				
	TOTAL - 29 NO. CAR PARKING PROVIDED				
11.	MUNITY & MACHINE ROOM AREA	27.20 Sq.Mtr.			

SCALE 1:100

DOOR / WINDOW DETAIL

W1 = 2.40mx1.65m
W2 = 0.90mx1.65m
V = 1.50mx0.47m
D1 = 3.88mx2.55m
D2 = 0.75mx2.10m

COMPounding COMMERCIAL BUILDING ON PLOT NO. 9A,10,11 & PART OF PLOT NO. 12 & 13 ALL PART OF SUBDIVIDED PLOT NO. - 29 CIVIL STATION, M.G. MARG, ALLAHABAD.

ARCHITECT'S SIGN: ANIL K. GUPTA, ARCHITECT, REGD. NO. CA-180387

OWNER SIGN: AAKRITI Architects & Engineers, K-1 Prayag Kunj, Strachey Road, Allahabad Ph. 2260373

BElongING TO, Mr. LAXMI NARAYAN PANDEY

Handwritten notes and stamps in Hindi, including a circular official stamp and various signatures.